

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.12(27)पपा / 2012

जयपुर दिनांक:- 19 APR 2017

--: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 ग्रेड-पे 5400/- में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक-13.3.2006 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक(Fixed Remuneration) रू. 22180/- (अक्षरे रूपये बाईस हजार एक सौ अस्सी मात्र) प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित पशु चिकित्सालयों में करते हैं :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नंबर	अधिकारी का नाम / पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	स्थायी पता	पदस्थापन स्थान
1.	219	100719	डॉ० मोईन अकरम / श्री अखलाक हुसैन	31-01-1988	BC	कोटा	प.चि. बोराबास, कोटा
2.	220	100931	डॉ० शंकर राम पूनियां / श्री उदाराम पूनियां	05-06-1988	BC	नागौर	प.चि. केराप, कुचामनसिटी
3.	221	100063	डॉ० मनोज कुमार / श्री अमर सिंह	20-09-1988	BC	चूरु	प.चि. बूचावास, चूरु
4.	224	100025	डॉ० बजरंग लाल रॉयल / श्री गोपाल लाल रॉयल	01-01-1978	BC	नागौर	प.चि. तिहारी, अजमेर
5.	226	100612	डॉ० सुनील कुमार / श्री ओम प्रकाश	07-01-1983	BC	हनुमानगढ	प.चि. रोडावाली, हनुमानगढ
6.	227	100493	डॉ० नेमचन्द यादव / श्री प्रभुदयाल यादव	05-01-1984	BC	भरतपुर	प.चि. पृथ्वीपुरा, अलवर
7.	228	100172	डॉ० राजेश विश्‍नोई / श्री जगराम विश्‍नोई	10-04-1984	BC	बाडमेर	प.चि. अरनियाली, बाडमेर
8.	229	100631	डॉ० ओम प्रकाश चौधरी / श्री जोगाराम	20-08-1984	BC	जोधपुर	प.चि. गगाडी, जोधपुर
9.	R-2	100773	डॉ० धीरेन्द्र कुमार / श्री नन्दराम	01-07-1988	GEN	भरतपुर	प.चि. आजाऊ, भरतपुर
10.	R-3	100925	डॉ० कपिल गुप्‍ता / श्री बाबू लाल गुप्‍ता	12-07-1988	GEN	दौसा	प.चि. चांदेरा, दौसा
11.	R-4	100375	डॉ० पंकज जैन / श्री सुरेश चन्द जैन	24-09-1988	GEN	जयपुर	प.चि. बाडीजोडी, जयपुर
12.	R-5	100221	डॉ० दीपेन्द्र सिंह राठौड़ / श्री श्रवण सिंह राठौड़	17-12-1988	GEN	नागौर	प.चि. मीठडी (नावां) कुचामनसिटी
13.	R-6	100843	डॉ० योगेश कुमार शर्मा / श्री चन्द्रभान शर्मा	15-06-1989	GEN	भरतपुर	प.चि. अड्डा, भरतपुर
14.	R-7	100652	डॉ० सुनील जिन्दल / श्री ओंकार जिन्दल	07-08-1979	GEN	भरतपुर	प.चि. देवगांव, जयपुर
15.	R-8	100191	डॉ० अरविन्द कुमार जैन / श्री मगन चन्द जैन	06-03-1985	GEN	नागौर	प.चि. दूनी, टोंक व.प.चि. अ. के पद विरुद्ध
16.	R-9	100040	डॉ० चक्रवर्ती सिंह बीका / श्री किशोर सिंह बीका	10-03-1985	GEN	जयपुर	बहु.उ.प.चि. अजमेर
17.	R-11	100045	डॉ० विकास शर्मा / श्री शम्भुदयाल शर्मा	01-07-1987	GEN	जयपुर	बहु.उ.प.चि. जयपुर

18.	R-12	100682	डॉ० सौरभ कुमार गोयनका / श्री महेश गोयनका	10-07-1989	GEN	दौसा	प.चि. गढी सवाईराम, अलवर
19.	R-13	100415	डॉ० सुभाष शर्मा / श्री रामलाल शर्मा	18-04-1984	GEN	सीकर	प.चि. सरगोठ, सीकर
20.	R-14	100161	डॉ० अभिषेक शर्मा / श्री मूलचन्द शर्मा	21-08-1984	GEN	दौसा	प.चि. कालीपहाडी, दौसा
21.	R-15	100014	डॉ० राकेश कुमार शर्मा / श्री नाथु लाल शर्मा	25-06-1986	GEN	दौसा	प.चि. बडियालकला, दौसा
22.	R-50	100426	डॉ० आरिफ अन्सार / श्री जमील अहमद	31-08-1986	BC	बारां	प.चि. ईश्वरपुरा, बारां
23.	R-51	100402	डॉ० मदन लाल कुमावत / स्व० श्री रामदेव कुमावत	11-11-1986	BC	जयपुर	प.चि. किशनपुरा, जयपुर
24.	R-53	100893	डॉ० गजेन्द्र दास / श्री शिशुपाल दास	10-05-1987	BC	भरतपुर	प.चि. सातरुक, भरतपुर
25.	R-54	100226	डॉ० राकेश चौधरी / श्री बोदी लाल जाट	20-06-1987	BC	जयपुर	प.चि. पालडी, जयपुर
26.	R-57	100091	डॉ० अनुराग स्वामी / श्री सुरेश स्वामी	31-10-1987	BC	श्रीगंगानगर	प.चि. 15 जेड, श्रीगंगानगर
27.	R-58	100110	डॉ० कपिल कुमार रेनवाल / श्री रवि प्रकाश रेनवाल	05-03-1990	BC	कोटा	प.चि. अयाना, कोटा
28.	R-63	100112	डॉ० नेमीचन्द / श्री हरलाल	19-05-1982	BC	बाडमेर	प.चि. राखी, बाडमेर
29.	R-65	100545	डॉ० हनुमाना राम भादु / श्री सुखराम	04-01-1983	BC	बाडमेर	प.चि. बाकासर, बाडमेर
30.	R-66	100177	डॉ० नरेन्द्र तंवर / श्री धूपचन्द तंवर	11-05-1983	BC	झुन्झुनूं	प.चि. बागौली, झुन्झुनूं

डॉ० लेखराज नारवाल को उक्त नियुक्ति माननीय जिला सेशन न्यायाधीश, अलवर में विचाराधीन फौजदारी निगरानी संख्या 117/15 के अध्याधीन दी गई है।

इन अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही हैं, जो इन्होंने परीक्षा के अपने आवेदन पत्रों के प्रारूपों में उल्लेखित की हैं और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

यह कि उक्त पद पर नियुक्ति नियमों की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।

ये नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश सं.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 9.6.03, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/07, दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प.13(1)वित्त(नियम)/2003, दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त(नियम) 2004, दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतनश्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस बाबत इन्हें कार्यग्रहण करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


अभ्यर्थियों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण किया जावेगा। उक्त अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं है।

यह आदेश वित्त विभाग की ID No.151500422 दिनांक 30.03.2015 एवं कार्मिक विभाग ID No.358/DOP/A-2/2015 दिनांक 06.04.2015 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

ये नियुक्तियों सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों तथा S.B.W.P.No. 2918/2016, 3743/2016, 5486/2016, 4319/2016, 4383/2016, 3271/2016, 5535/2016, 6394/2015, 6491/2016, 4323/2016, 5609/2016, 5996/2016, 3777/2016, 4254/2016 4204/2016, 4690/2016, 4687/2016, 7725/2016, 4738/2016, 8045/2016, 8167/2016, 7777/2016 and 7239/2016 में पारित किये जाने वाले अन्तिम आदेशों के अध्यक्षीन होंगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन.एल. गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012-2013/525 दिनांक 07.03.2017 एवं एफ.7(25)भर्ती/गोपनीय/2012-2013/532 दिनांक 07.03.2017 के संदर्भ में।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
9. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर/संबंधित संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर लें एवं शैक्षणिक योग्यता, दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं संबंधित श्रेणी के प्रमाणस्वरूप मूल दस्तावेजों से आवश्यक रूप से मिलान कर लें।
10. संबंधित अभ्यर्थी डॉ०
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव